न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 371 / 2025
श्री ओमप्रकाश चौघरी, ग्राम धायलो का बास, पोस्ट कारी, वाया जाखल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333305, मो0न0 8949151411

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 29.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 371 / 2025 पर दिनांक 08.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 4167—68 दिनांक 08.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 2025 / 339 दिनांक 12.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / आर0टी0आई0 / 2025 / 623 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा पत्रांक सू0अ0अ0 / 2025 / 339 दिनांक 12.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / आर0टी0आई0 / 2025 / 623 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं